संख्या–45 / एक–13–2014–7क(4)14टीसी

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2–आयुक्त एवं निदेशक,
भूमि अध्याप्ति निदेशालय,
राजस्व परिषद,उ0प्र0

3–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग– 13 लखनऊ दिनांक 14 मार्च, 2014

विषयः– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रंतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(1) (क) के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रंतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(1) में यह व्यवस्था है कि यदि किसी मामले में भू–अर्जन की कार्यवाही भू–अर्जन अधिनियम,1894 के अंतर्गत प्रारम्भ की गयी थी और उक्त अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत 01–01–2014 से पूर्व एवार्ड की घोषणा की गयी है। वहां इस नये अधिनियम,2013 के प्रतिकर का अवधारण किये जाने से संबंधित सभी उपबन्ध लागू होगें और यदि धारा 11 के अधीन अभिनिर्णय की घोषणा कर दी गयी है वहां ऐसी कार्यवाहियां वर्ष 1894 के भू–अर्जन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसी प्रकार जारी रहेगी मानो उक्त अधिनियत निरसित नहीं किया गया है।

2– नये अधिनियम की उक्त धारा 24(1)(क)के संबंध में कतिपय जिज्ञासाएं / स्पष्टीकरण की वांछना विभिन्न स्रोतों से शासन को प्राप्त हुई है। इन जिज्ञासाओं के संबंध में शासन द्वारा न्याय विभाग के माध्यम से मा0 महाधिवक्ता महोदय का विधिक परामर्श प्राप्त किया गया। प्राप्त परामर्श के अनुसार स्पष्टीकरण निम्नवत् हैः–

(1) भू–अर्जन के ऐसे प्रकरण जिनमें भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना जारी नहीं हुई है किन्तु 10 प्रतिशत प्रतिकर व 10 प्रतिशत अर्जन व्यय की धनराशि संबंधित लेखाशीर्षक में जमा करायी जा चुकी है। ऐसे मामलों में क्या अब धारा 4 की अधिसूचना जारी की जा सकेगी।

इस विषय में मा0 महाधिवक्ता महोदय का परामर्श निम्नवत है:–

" Section 24(1)(a)states that where no award under section 11 of the Land Acquisition Act, 1894 has been made, then, all the provisions of the Act No. 30 of 2013 relating to determination of compensation , shall apply. Section 114(2) provides for a saving clause, in terms of which Section 6 of the general clauses Act, 1897 has been made applicable with regard to the effect of repeals.

A plain reading of the provisions contained under Section 24(1)(a) of the Act No. 30 of 2013 would make it apparent that Section 24(1)(a) is attracted in all situations where proceedings for land acquisition have been initiated under the Land Acquisition Act, 1894, and no award under section 11 has been made under said Act. The only rider, which has been imposed with the enforcement of the new Act No 30 of 2013, is that in so for as determination of compensation is concerned, all the provisions of the new Act shall apply. Further, section 114 (2) provides that the repeal of the Land Acquisition Act, 1894 would not be held to be prejudice or affect the general application of Section 6 of the general clauses Act, 1897 with regard to the effect of repeal.

The publication of notification under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, where by notice is given to public at large of the intent to acquire land, is generally held to be the point of initiation of land acquisition proceedings under the Land Acquisition Act, 1894. The land acquisition proceeding having been initiated with the publication of notification under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 and award under section 11 of said Act having not been made, the provisions under section 24(1)(a) would get attracted, and this together with the provisions under

Section 114 (2) wherein the general application of section 6 of the General Clauses Act, 1897 with regard to repeals has been provided for, implies that the proceedings initiated with the publication of notification as prescribed under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 would not be affected by the promulgation of the Act No 30 of 2013, and there appears to be no hindrance in issuance of declaration under Section 6 of the Land Acquisition Act 1894, in such cases.

उपरोक्त परामर्श से स्पष्ट है कि धारा 4 की अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक को भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही का प्रारम्भ माना जायेगा। जिन मामलों में धारा 4 की अधिसूचना जारी नहीं हुई है उनमें भले ही 10 प्रतिशत प्रतिकर और 10 प्रतिशत अर्जन व्यय जमा कर दिया गया हो, उन सभी मामलों में सभी कार्यवाहियां व्यपगत मानी जायेगी और अब पुराने अधिनियम की धारा 4 की अधिसूचना जारी नही की जायेगी। बल्कि वर्ष 2013 के नये अधिनियम के अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही पुनः नये सिरे से प्रारम्भ की जा सकेगी।

(2) भू–अर्जन के ऐसे प्रकरण जिनमें भू–अर्जन अधिनियम,1894 की धारा 4 की अधिसूचना जारी हो गयी उनमें क्या धारा 6 की अधिसूचना जारी कर अर्जन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

उपरोक्त बिन्दु पर परामर्श निम्नवत् हैः–

" In matters wherein before enforcement of the Act No. 30 of 2013 notification under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, has been published as per statutory requirement of the aforesaid Section, and award under Section 11 of the said Act has not been made, there appears to be no hindrance in issuance of declaration under Section 6 of the Land Acquisition Act,1894 ;however with a rider that in so far as determination of compensation is concerned, all the provisions under Act No. 30 of 2013 shall apply."

उपरोक्त परामर्श से स्पष्ट है कि जिन प्रकरणों में धारा 4 की अधिसूचना जारी हो गयी है उनमें 1894 के अधिनियम के अनुसार विहित प्रक्रिया द्वारा भू–अर्जन की कार्यवाही पूरी की जायेगी किन्तु प्रतिकर का अवधारण नये

अधिनियम 2013 (धारा 26 से 30 सपठित प्रथम अनुसूची) के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा और ऐसे मामलों में प्रदेश में पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन से संबंधित शासनादेश दिनांक 17–8–2010, 03–9–2010 एवं 02–06–2011 द्वारा अनुमन्य लाभ देय होगें।

3– अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार सभी संबंधित को अवगत कराते हुए तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या–45(1)/एक–13–2014 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनउ।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष।
(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उपसा एवं यूपीडा।
(4) स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव।
(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
(6) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
अनु सचिव।